



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी, अजमेर
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एनसीईआरटी की एक संघटक इकाई
कप्तान डी.पी. चौधरी मार्ग, अजमेर 305 004 (राजस्थान)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए'+ श्रेणी प्रदत्त

फा.सं. . 2-3/A /2025/2515

दिनांक: 12 SEP 2025

विषय:- संस्थान के विज्ञापन संख्या 08/2025 द्वारा जारी संविदा आधार पर विज्ञापन में साक्षात्कार की तिथियों एवं समय में परिवर्तन के संबंध में।

संस्थान के विज्ञापन संख्या 08/2025 द्वारा जारी संविदा आधार पर विज्ञापन में साक्षात्कार की तिथियों एवं समय में परिवर्तन किया गया है। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर आज दिनांक 12.09.2025 को अपलोड कराने का श्रम करें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमति से जारी किया जाता है।

भवदीय

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी, आई.सी.टी. को इस निवेदन के साथ कि उपरोक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

प्रशासनिक अधिकारी



क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, AJMER
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
(National Council of Educational Research & Training)
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा 'ए'+ श्रेणी प्रदत्त
Accredited by NAAC with A+ Grade

Advertisement No. 08/2025

F.No. 2-3/A/2025/

संशोधित साक्षात्कार (REVISED WALK-IN-INTERVIEW)

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए संविदा आधार पर संस्थान में निम्नलिखित पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे
इनमें निम्नानुसार दिनांक एवं समय में परिवर्तन किया गया है:-

S.No.	Name of post	No. of posts	Consolidated Remuneration	Age limit	Date and Time of Interview
1	Assistant Professor in English (Department of Extension)	02	Rs. 45,000/-p.m.	As per UGC/NCERT/GOI norms	19-09-2025, 10:30 a.m.
2	Junior Accountant	01	Rs. 54,000/- p.m.	30 years	19-09-2025, 12:00 p.m.
3	Store Keeper Gr. II	02	Rs. 39,000/- p.m.	27 years	19-09-2025, 02:30 p.m.
4	TGT, Mathematics	01	Rs. 26,250/- p.m.	35 years	22-09-2025, 10:30 a.m.
5	TGT, Hindi	01	Rs. 26,250/- p.m.	35 years	22-09-2025, 12:00 p.m.
6	WET (Agriculture)	01	Rs. 26,250/- p.m.	35 years	22-09-2025, 02:30 p.m.

साक्षात्कार हेतु अन्य नियम पूर्ववत् रहेंगे।

प्रशासनिक अधिकारी